ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-09/2024- 3516/वि०स०, दिनांक- 30.09.2024 ।

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 22 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 26 जुलाई, 2024 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । द्वादश सत्र में कार्यक्रमानुसार कुल पाँच बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उल्लेख किया गया कि आज से इस पवित्र सावन मास का शुभारम्भ होने जा रहा है । इसे भगवान शंकर की विशेष भक्ति और कृपा से जुड़ा हुआ माह भी मानते हैं । शंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ है- कल्याण । भगवान शंकर प्रकृति से जगत का कल्याण करने वाले हैं । महादेव आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें । मैं इस पवित्र सावन माह के लिए आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ । वर्तमान सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित हैं । इसमें प्रश्न एवं लोक महत्त्व की सूचनाओं के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन होगा, राजकीय विधेयक भी लिये जायेंगे तथा गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी निपटाए जायेंगे । पाँच कार्य दिवसों का यह सत्र अपने आकार में भले ही छोटा है, लेकिन इसमें आमजन और राज्यहित से जुड़े कई मुद्दों का निपटारा होगा ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र विचार-विमर्श, समझाने-बुझाने एवं समझौते पर भरोसा करता है । संसदीय व्यवस्था में वाद-विवाद पर जोर केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि नीति के अधिकांश सवालों पर दृष्टिकोणों और हितों में मतभेद रहता है, बल्कि इसलिए भी कि मतभेदों की अभिव्यक्ति और उसका सुना जाना लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है । संसदीय प्रणाली विविधता और नागरिकों के बीच समानता को आधारभूत तत्व मानकर चलता है और मतभेदों को विचार-विमर्श से दूर किया जाता है क्योंकि किसी भी विषय पर सहमति प्राप्त करने का यही सबसे अच्छा उपाय है । अत: आप सबों से अनुरोध है कि इस छोटे से सत्र में सदन के समय का भरपूर सदुपयोग करें और सार्थक विमर्श में भाग लें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र संचालन में मुझे आप सबों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा ।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

निर्वाचन क्षेत्र संख्या-60, रूपौली से उप निर्वाचन में निर्वाचित माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह द्वारा शपथ ग्रहण किया गया । साथ ही निर्वाचन क्षेत्र संख्या-195, अगिआँव से उप निर्वाचन में निर्वाचित माननीय सदस्य श्री शिव प्रकाश रंजन द्वारा अध्यक्षीय कक्ष में दिनांक 26 जून, 2024 को लिये गये शपथ की सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सभा को दी गई ।

अध्यक्षीय घोषणा

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-66(1) परन्तुक के अधीन माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा किया गया कि सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-196, तरारी द्वारा दिनांक-14.06.2024 से माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-203, रामगढ़ द्वारा दिनांक-14.06.2024 से माननीय सदस्य श्री जीतन राम माँझी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 227,

इमामगंज द्वारा दिनांक-14.06.2024 से तथा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 232 बेलागंज द्वारा दिनांक-18.06.2024 से सदन से अपने स्थान का त्याग कर दिया है ।

अनुमत विधेयक

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न बारह (12) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2024
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2024
(3) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(4) बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024
(5) बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024
(6) बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024
(7) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024
(8) बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(9) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
(10) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
(11) बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(12) बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

वित्तीय कार्य

दिनांक 22 जुलाई, 2024 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक 25 जुलाई, 2024 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा यह स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
2. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-221 एवं 222, दिनांक-15.06.2023 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
3. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-60, दिनांक-23.01.2024; एस०ओ०-59, दिनांक-04.01.2024; एस०ओ०-358,.357, दिनांक-23.11.2023; एस०ओ०-353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, दिनांक-19.10.2023; एस०ओ०-344, 343, 342, दिनांक- 17.10.2023; एस०ओ०- 264, 263, 262, 261, 260, 259, दिनांक-05.10.2023; एस०ओ०-243 242, 241, 240, 239, दिनांक-30.09. 2023; एस०ओ०- 236, 235, 234, 233, 232, 231 दिनांक-21.08.2023; एस०ओ०-229, 228, 227, 226 एवं 225, दिनांक-26.07.2023 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार वन्य प्राणी संरक्षण नियमावली, 1973; बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन (विनियमन) नियमावली-1973; बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन(विनियमन)(संशोधन) नियमावली-2002; बिहार वृक्ष विक्रय निमावली, 2004; बिहार जैव विविधता नियावली, 2017; राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र (स्थापना एवं संचालन) उप नियम, 2014; बिहार वन सेवा नियमावली, 2013; बिहार वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2013; बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2020; बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013; बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018; बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें), नियमावली, 2020; बिहार पर्यावरण एवं .वन विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2013; बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2017 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
5. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-101(3) के तहत बिहार दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2004 की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
6. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखा की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-349(2) के तहत् जी०एस०टी०एन० का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
8. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
9. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 के तहत् बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।
10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' एवं ''स्थानींय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वर्ष 2022-23 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गई ।
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' एवं ''स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वर्ष 2022-23 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन का बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''
12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

13. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार कराधान विवादों का समाधान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-67 एवं 68, दिनांक-15.03.2024 तथा बिहार वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 से संबंधित अधिसूचना संख्या-2650, दिनांक-14.06.2024 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

14. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-158 एवं 159, दिनांक-15.04.2024; एस०ओ०-189, दिनांक-27.05.2024 एवं एस०ओ०-190 एवं 191, दिनांक-20.06.2024 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

15. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010 के नियम 21(3) के तहत् बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024
2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा अयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024
4. बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
5. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
6. बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024
7. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024

याचिका

इस सत्र में कुल 145 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 135 स्वीकृत हुए तथा 10 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 180 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 178 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 1109 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 870 प्रश्न स्वीकृत हुये, इन स्वीकृत प्रश्नों में कुल 17 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए, 744 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 672 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 109 प्रश्न अतारांकित हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 106 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 95 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 03 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 124 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए एवं सभी 124 सूचनाएँ स्वीकृत हुए। स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 05 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत किये गये तथा 03 सूचनाएँ अस्वीकृत किये गये। 63 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये तथा 53 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये।

शोक प्रकाश

इस सत्र में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगाठ के अवसर पर बिहार रेजीमेंट के अठारह शहीद वीरों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हुये सदन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किया गया तथा निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना से अवगत कराया गया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री; पूर्व सांसद; पूर्व स०वि०स० एवं पूर्व स०वि०प०
2. स्वर्गीय रघुनाथ गुप्ता, पूर्व स०वि०प०
3. स्वर्गीय शिवाधार पासवान, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय वानेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय अनुसूया देवी, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय रामाश्रय सिंह, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय शान्ति देवी, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय बाबू लाल मधुकर, पूर्व स०वि०प०
10. स्वर्गीय महेन्द्र नारायण यादव, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०
11. स्वर्गीय हीराराम तूफानी, पूर्व स०वि०स०
12. स्वर्गीय राजीव रंजन, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया।

सधन्यवाद

आपकी विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

Khyati Singh
(ख्याति सिंह) 20/09/24
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।